प्रेषक,

संख्या–494 /VII-A-1/2020/31ख/17टीसी

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

D10, NM
R

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 18 मई, 2020

विषयः नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टे के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) तथा चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति का प्राधिकार जिलाधिकारी को दिये जाने हेतु अधिसूचना संख्या–470/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी, दिनांक 05 मई, 2020 **(संलग्नक–1)** द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 तथा कार्यालय ज्ञाप सं० 200/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी, दिनांक 05 मई, 2020 **(संलग्नक–2)** द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में संशोधन किया गया है।

2– उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में तत्काल व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित करायी जाय।

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 1 **(संलग्नक–3)** में दिनांक 10.6.2020 तक प्राप्त किये जाएं।

(3) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदनकर्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जिला कार्यालय में सहायता केन्द्र (Help desk) स्थापित किया जाय।

(4) जिला कार्यालय में उक्तानुसार स्थापित सहायता केन्द्र (Help desk) में प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को पूर्वान्ह 9.30 से अपरान्ह 1.30 बजे तक जिला खान अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित तहसीलदार उपस्थित रहेंगे, जो चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में आवश्यक जानकारी/सहायता आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करायेंगे।

(5) दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति/सूचना में सहायता केन्द्र (Help desk) में उपलब्ध होने वाले उक्त अधिकारियों के दूरभाष नं० आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(6) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान में चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) दिनांक 30.6.2020 तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर लिये जाएं।

3– कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या– 494 (1) / VII-A-1 / 2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन०एस० डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

विज्ञापन का प्रारूप

अधिसूचना संख्या–470/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी, दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 तथा औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 200/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी, दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में संशोधन करते हुए नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु संबंधित भूस्वामी के पक्ष में उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) तथा चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति का प्राधिकार जिलाधिकारी को प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार जनपद चमोली .... में नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा का आवंटन संबंधित भूस्वामी के पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 1 में आमंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि :–

(1) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा हेतु भूस्वामी ही चुगान/खनन पट्टा आवंटन/स्वीकृति हेतु पात्र होंगे।

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा संबंधित भूस्वामी को स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 1 में दिनांक 10.6.2020 तक जिला कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

(3) उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 1 की प्रति जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(4) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदनकर्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जिला कार्यालय में सहायता केन्द्र (Help desk) स्थापित किया गया है।

(5) जिला कार्यालय में स्थापित सहायता केन्द्र (Help desk) में प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को पूर्वान्ह 9.30 से अपरान्ह 1.30 बजे तक निम्न अधिकारी उपस्थित रहेंगे :–
(i) श्री दिनेश कुमार ...., पदनाम ज्येष्ठ खानअधि. दूरभाष/मोबाईल नं० 9411167356
(ii) श्री ...., पदनाम सर्वेक्षक .... दूरभाष/मोबाईल नं० 9690541113

(6) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) के चुगान में चुगान/खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) दिनांक 30.6.2020 तक स्वीकृत किये जा सकेंगे।

d